भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1533

(दिनांक 12.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस के ड्राफ्ट की स्थिति

1533. श्री नीरज डांगी:

श्री हारिस बीरानः

श्री दिग्विजय सिंहः

श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जुलाई 2025 में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस" (टीआरपी गाइडलाइंस) के ड्राफ्ट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पहले दौर की चर्चा में सलाह लिए गए स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स या संगठनों की जानकारी और उनके द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी प्लेटफार्मों पर नया फ्रेमवर्क लागू किए जाने की कोई तारीख तय की है, यदि हाँ, तो वह तारीख क्या है; और

(घ) सरकार पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेगी और टेलीविज़न रेटिंग के लिए पक्षपाती अथवा अलग-अलग मापदण्डों को किस प्रकार रोकेगी?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): भारत में टेलीविजन रेटिंग भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 द्वारा शासित होती हैं।

दिनांक 02.07.2025 को, सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए इन दिशानिर्देशों के संबंध में मसौदा संशोधन प्रकाशित किए। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम करना, अधिक सटीक और प्रतिनिधि डेटा का सृजन करना और यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देश भर में दर्शकों की विविध और विकसित होती मीडिया उपभोग संबंधी आदतों को प्रतिबिंबित करे।

इनपुट की जांच करने के बाद, सार्वजनिक परामर्श के लिए दिनांक 06.11.2025 को एक संशोधित मसौदा संशोधन प्रकाशित किया गया है।

*****